न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.92 / प्रा.पत्र / 2024
(GCMS No. 2024 / 144)

प्रविष्टि दिनांक
18.09.2024

निर्णय दिनांक
23.09.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी डाबी, तहसील तालेडा (मृतक जर्ये कायम मुकाम) –
1/1. प्रकाश पुत्र स्व. प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी डाबी तह.तालेडा
1/2. भंवरीबाई पुत्री स्व.प्रेमचन्द महाजन नि.डाबी (मृतक नाम विलोपित)
1/3.सरवणबाई बेवा प्रेमचन्द महाजन नि0 डाबी (मृतक नाम विलोपित)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी प्रेमचन्द आ.सुन्दरलाल को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 180 रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 92/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/144 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। जिस पर अप्रार्थी प्रेमचन्द की मृत्यु हो जाने सूचना प्राप्त हुई। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार मृतक अप्रार्थी के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एव नायब तहसीलदार डाबी गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि वन विभाग की भूमि के बीच में स्थित है, जिस पर पेड़–पौधे लगे हुए है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन खसरा सं. 180 निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्रेमचन्द आ. सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 351 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा एवं ख.सं. 180 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 180 रकबा 0.7284 हैक्टेयर पर आवंटी प्रेमचन्द महाजन गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, आईएलआर एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.8.2024 अनुसार मौके पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि वन विभाग की भूमि के बीच में स्थित है, जिस पेड़–पौधे लगे हुये है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2023 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है।

जिला कलक्टर, बून्दी

इस प्रकार तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि आवंटित भूमि पर मौके पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि वन विभाग की भूमि के बीच में स्थित है, जिस पेड़–पौधे लगे हुये है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदार उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पडत होना प्रकट है। इस प्रकार प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। अप्रार्थी के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी प्रेमचन्द आ. सुन्दरलाल जाति महाजन को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 180 रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी